"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2008—अग्रहायण 21, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दुलेश्वर यादव आत्मज श्री प्रभुलाल यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 1/ई, एवेन्यू सी, सेक्टर 6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. गं.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. दिव्या यादव का नाम परिवर्तित कर कु. दृष्टि यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. दृष्टि यादव आत्मजा श्री दुलेश्वर यादव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. दिव्या उर्फ दृष्टि यादव आत्मजा श्री दुलेश्वर यादव निवासी-क्वाटर नं. 1/ई, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. गं.)	कु. दृष्टि यादव आत्मजा श्री दुलेश्वर यादव निवासी-क्वाटर नं. 1/ई, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/720.—ग्राम विकास कामगार सहकारी समिति मर्या., रोहिनाडीह, वि. खं.-पाली, पंजी. क्र. 35 दिनांक 24-01-03 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/265 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि..ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा ग्रा. वि. कामगार सहकारी समिति मर्या. रोहिनाडीह की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए ग्राम वि. काम. सहकारी समिति मर्यादित, रोहिनाडीह, विकास खंड पाली, पंजीयन क्रमांक 35 दिनांक 24-01-03 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/721.—रेत मुरूम सहकारी समिति मर्या., पाली, वि. खं.-पाली, पंजी. क्र. 25 दिनांक 22-01-02 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/222 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा रेत मुरूम सहकारी समिति मर्या. पाली की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए रेत मुरूम सहकारी समिति मर्यादित पाली, विकास खंड पाली, पंजीयन क्रमांक 25 दिनांक 22-01-02 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/722.—महालक्ष्मी गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या., रंगोले, वि. खं.-पाली, पंजी. क्र. 15 दिनांक 24-10-2000 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/220 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा महालक्ष्मी गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या., रंगोले की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्यादित रंगोले, विकास खंड पाली, पंजीयन क्रमांक 15 दिनांक 24-10-2000 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/723.—गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या., कांजीपानी (नुन्हापारा), वि. खं.-पाली, पंजी. क्र. 3865 दिनांक 17-06-1997 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/218 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या., कांजीपानी (नुन्हापारा) की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्यादित कांजीपानी (नुन्हापारा), विकास खंड पाली, पंजीयन क्रमांक 3865 दिनांक 17-6-1997 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/724.—फल फूल व साग सब्जी उत्पादन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., चैतमा, वि. खं.-पाली, पंजी. क्र. 23 दिनांक 28-5-01 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/........ दिनांक .... द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख.पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा फल फूल साग सब्जी उत्पादन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., चैतमा की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए फल फूल साग सब्जी उत्पादन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, चैतमा, विकास खंड पाली, पंजीयन क्रमांक 23 दिनांक 28-5-01 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/725.—प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., मोंगरा, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3452 दिनांक 10-12-1991 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धाग 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/261 दिनांक 02-5-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., मोंगरा की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्राथ. सह. उप. भंडार मर्यादित, मोंगरा, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3452 दिनांक 10-12-91 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/726.—प्राथ. सह. उप. भण्डार समिति मर्या., बांकीमोगरा, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3457 दिनांक 24-1-1992 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/264 दिनांक 02-5-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख., कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राथ. सह. उप. भंडार समिति मर्या., बांकीमोगरा की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्राथ. सह. उप. भंडार समिति मर्यादित, बांकीमोगरा, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3457 दिनांक 24-1-92 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/727.—प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., जेलबस्ती, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3464 दिनांक 09-3-1992 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/83/ दिनांक 22-3-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख., कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., जेलबस्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है को प्रयोग करते हुए प्राथ. सह. उप. भंडार मर्यादित, जेलबस्ती, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3464 दिनांक 9-3-92 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/729.—गणेश कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्या., छुरीकला, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 2433 दिनांक .... को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1054 दिनांक 03-5-86 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा गणेश कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्या., छुरीकला की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, ज़िला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए गणेश कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, छुरीकला, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 2433 दिनांक .... का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/730.—नवयुवक मछुवा सहकारी समिति मर्या., दर्री, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3023 दिनांक 14-9-73 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/862 दिनांक 30-12-02 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा नवयुवक मछुवा सहकारी समिति मर्या., दर्री की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए नवयुवक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, दर्री, विकास खंड, कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3023 दिनांक 14-9-73 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/731.—पत्थर व रेत खदान सहकारी समिति मर्या., रंजना, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3924 दिनांक 15-01-99 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/226 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा पत्थर व रेत खदान सहकारी समिति मर्या., रंजना की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए पत्थर व रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, रंजना, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3924 दिनांक 15-01-99 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/733.—संतोषी बुनकर सहकारी समिति मर्या., छुरी, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3045 दिनांक 12-11-76 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/223 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संतोषी बुनकर सहकारी समिति मर्या., छुरी की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए संतोषी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, छुरी, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3045 दिनांक 12-11-76 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/734.—छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति मर्या., छुरीकला, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3173 दिनांक 21-03-86 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 21-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख., कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा छ. ग. मछुवा सहकारी समिति मर्या., छुरीकला की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, छुरीकला, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3173 दिनांक 21-03-86 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/735.—प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बल्गीखार, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3772 दिनांक 30-3-92 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/262 दिनांक 2-5-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख., कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., बल्गीखार की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्रा. सह. उप. भंडार मर्यादित, बल्गीखार, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3772 दिनांक 30-3-92 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/736.—गिट्टी निर्माण सहकारी समिति मर्या., आमाखोखरा, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3488 दिनांक 13-7-72 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/225 दिनांक 9-4-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा गिट्टी निर्माण सहकारी समिति मर्या., आमाखोखरा की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए गिट्टी निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, आमाखोखरा, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3488 दिनांक 13-7-72 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 17 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/737.—ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., चैनपुर, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 173 दिनांक 05-04-90 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/224 दिनांक 09-04-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., चैनपुर की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुर, विकास खंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 173 दिनांक 09-04-2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.